समाहरणालय जमुई
(नजारत शाखा)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना :–

जमुई समाहरणालय परिसर अन्तर्गत सभी कार्यालय कक्ष/संवाद भवन के निचली एवं उपरी भवन/सभी कार्यालय शाखा की साफ सफाई (झाडू पोछा), पार्क का रख–रखाव, हेतु इच्छुक व्यक्ति/ स्वंयसेवी संस्था/फार्म दिनांक–17.08.2017 के अपराह्न 4:00 बजे तक जिला पदाधिकारी के कार्यालय (जिला नजारत शाखा) में निविदा दाखिल कर सकते है। प्राप्त निविदा दिनांक–18.08.2017 को अपराह्न 3:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलते समय निविदादाता स्वंय अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

:–कार्य का विवरण :–

1. समाहरणालय परिसर अन्तर्गत सभी कार्यालय कक्ष/संवाद भवन के निचली एवं उपरी भवन/सभी कार्यालय शाखा की साफ सफाई (झाडू पोछा फिनाईल के साथ) सुबह 9:00 बजे पूर्वाह्न के पूर्व कराना अनिवार्य होगा।
2. समाहरणालय भवन, संवाद कक्ष के निचली एवं उपरी भाग एवं परिसर में अवस्थित अन्य भवनों में स्थित शौचालय की साफ–सफाई दिन में दो बार (9:00 बजे पूर्व एवं 3:00 बजे के पूर्व) फिनाईल के साथ करना है साथ ही सफाई कर्मी कार्यालय अवधि में यथा 5:00 बजे तक बने रहेंगे तथा लगातार फर्श की सफाई करते रहेंगे। सफाई कर्मी नियमित रूप से वाईपर/स्वाब का भी इस्तेमाल करेगें।
3. समाहरणालय परिसर के मुख्य सड़क पर झाडू लगाना एवं कूड़ा हटाना सुबह 9:00 बजे से पहले किया जाना।
4. समाहरणालय परिसर के मुख्य नाला की सफाई प्रत्येक सप्ताह किया जाना।
5. सभी शौचालयों में नेपथलिन की गोली की आपूर्ति (आवश्यकतानुसार) प्रतिदिन करना।
6. समाहरणालय परिसर/भवन को संक्रमण मुक्त रखना।
7. निविदादाता एवं प्रबंधक एवं कम से कम 8 मजदूर दैनिक सफाई कार्य हेतु रखेंगे। प्रबंधक की जिम्मेवारी होगी कि दैनिक सफाई का पर्यवेक्षण प्रतिदिन करेगें। निविदादाता द्वारा अपने कर्मियों को यूनिफार्म में रखना अनिवार्य होगा। यूनिफार्म में नहीं पाए जाने पर मासिक विपत्र से 5 प्रतिशत की कटौती कर ली जाएगी।
8. पार्क रख–रखाव के लिए एक माली उपर्युक्त मजदूर के अतिरिक्त रखना होगा।
9. मासिक विपत्रों का भुगतान संबंधित प्रधान सहायकों से कार्य सतोषजनक होने का प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा।

निविदा की शर्ते

1. निविदादाता यदि कोई व्यक्ति अथवा फार्म हो तो उसे सेवा कर निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को आयकर दाता होने का प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा एवं पूर्व में काली सूची में न डाले जाने संबंधी शपथ पत्र जमा करना होगा।
3. निविदादाता को पूर्व में उक्त कार्य में सरकारी या गैर सरकारी संस्थान का अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र देना होगा।
4. निविदादाता को उपर वर्णित विवरण के कार्यो के लिए आपूर्ति किए जाने वाली सामग्री एवं मजदूरी का पूर्ण विवरण देते हुए न्युनतम दर अंकित करना होगा।

5. सफल निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इस आशय का एकरारनामा दाखिल करना होगा कि मैं किसी प्रकार की कमी पाए जाने की स्थिति में मासिक विपत्र से अनुपातिक राशि की कटौती की जा सकगी। एवं आवश्यकतानुसार एकारनामा रद्द समक्षा जाएगा।
6. सभी कार्यो का एक समेकित दर कोटा (Quota) करना होगा।
7. सफाई के सभी समाग्री/उपकरण यथा हैण्डवास, डस्टबीन इत्यादि की व्यवस्था निविदादाता को करना होगा।
8. धोबी का भी कार्य निविदादाता के द्वारा किया जाना है।
9. सम्पूर्ण दर करों के साथ कोटा (Quota) करना होगा, भुगतान सभी करों के कटौतीकराके ही होगा।
10. निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रद्द करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
11. निविदादाता को अग्रधन के रूप में जिला पदाधिकारी, जमुई के पदनाम से 10000.00 (दस हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
12. समाहरणालय परिसर में स्थित अन्य भ्ज्ञवन यथा–जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सांख्यिकी भवन,सूचना भवन, योजना भवन एवं कोषागार भवन की साफ–सफाई पर होने वाले व्यय निर्धारित दर के अनुपातिक क्षेत्रफल के आधार पर संबंधित कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

विशेष जानकारी के लिए www.jamui.bih.nic.in पर देखा जा सकता है तथा किसी भी कार्य दिवस में नजारत उप समाहर्त्ता, जमुई से सम्पर्क किया जा सकता है।

डॉ0 कौशल किशोर, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी, जमुई